



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2013/पौष 17, 1934

No. 74]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2013/PAUSA 17, 1934

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2012

का.आ. 78(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, माननीय न्यायाधीश श्री एस. आर. सिन्दगी की अध्यक्षता वाले एक्स एल आई एक्स (XLIX) अपर नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बंगलौर शहर के न्यायालय को अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. उपर्युक्त विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरा कर्नाटक राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV) (पी-1)]

धर्मन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2012

S.O. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the court of XLIX Additional City Civil and Sessions Judge, Bangalore City, presided over by Hon'ble Shri S. R. Sindgi, Judge as the Special Court for the purpose of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Karnataka.

[No. 17011/50/2009-IS.VI(IV)(P-1)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.